निगोशियेटिंग कमेटी ने जो 27-10-70 को वेतन-मान निर्धारित किया था, बोकारो स्टील सिटी के मैनेजमेंट ने एम० ई० एण्ड ई० ओ० टी० आपरेटर्स को वह स्केल नहीं दिया। इस से पहले भी वहां पर मजदूरों ने इस के लिए 1973 में हड़ताल की थी और दोनों पक्षों ने बिहार की लेबर मिनिस्टर श्रीमती राम दुलारी सिन्हा को आर्बीट्रेटर माना था और श्रीमती राम दुलारी सिन्हा के आश्वासन पर वहां के मजदूरों ने 7-11-73 को हड़ताल वापस ले ली थी। उस के बाद लेबर मिनिस्टर ने आर्बीट्रेटर के रूप मे वहा के मजदूरों के वेतन-मान के के लिए जो एवार्ड दिया था, उस को भी बोकारो स्टील सिटी ने नही माना और जो मजदूर हड़ताल पर थे उन को विक्टिमाइज न करने की जो बात अन्तरिम एवार्ड मे थी, उस को भी वायलेट किया गया। फाइनल एवार्ड में जो वेतन-मान मजदूरों को दिया गया था, उस के न देने पर मजदूरो ने स्ट्राइक का नोटिस दिया और अब मजदूर 27 फरवरी से स्ट्राइक पर है। मैने पहले ही आप को फीगर्स दिये है कि देश का बहुत बडा नुकसान हो रहा है क्योंकि उत्पादन बहुत कम हो रहा है। इसलिए मै अपील करता हूं कि सत्र या स्टील मिनिस्ट्री इस मामले मे जल्दी से जल्दी इण्टरवीन करे ताकि जो बाकी ब्लास्ट फरनेस है और जो कि बन्द होने वाला है, वह बन्द न हो और इस का बुरा असर जो पड़ने वाला है, वह न पड़े।

SHRI VASANT SATHE (Akola): On a point of order. I have been drawing your attention repeatedly. It is such an important matter and are we going to make a mockery of 377?

MR. SPEAKER: Please resume your seat. There are few others.

SHRI VASANT SATHE: I ask you: please at least ask the Ministers to be present.

Formerly, the practice was that the Minister for Parliamenary Affairs would convey....

13.00 hrs.

MR. SPEAKER: We are conveying it.

SHRI VASANT SATHE: Is it a formality?

MR. SPEAKER: No, no. It is not a formality.

SHRI VASANT SATHE: The practice also was that the Minister concerned would take some action in some cases at least and inform the House. We invite the attention of the House. A matter raised under Rule 377 becomes the property of the House. The Ministers do not take any rotes. Have they come back with any reply to any matter raised under Rule 377 since the beginning of the session?

SHRI PURNA SINHA (Tezpur): If the Ministers do not give a reply, what is the use of raising a matter under Rule 377?

MR. SPEAKER: They have been asked to reply to the Members concerned. They have not been asked to make a statement before the House, but to give a reply to the Member concerned.

(iii) REPORTED ARREST OF SUGARCANE GROWERS AT BOAT CLUB, NEW DELHI

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत बोट क्लब पर 35 गन्ना किसानों की गिरफ्तारी की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। सरकार की गलत गन्ना नीति थी और उसको समय पर गन्ने की पैदावार की सही जानकारी नहीं थी, जिसके फलस्वरूप किसानों को मजबूरन पांच रुपये क्विंटल गन्ना बेचना पड़ रहा है।

MR. SPEAKER: You cannot mix up one with the other. You are allowed to make only one statement. You cannot mix sugar cane and the kisans' arrest together.

श्री चन्द्रशेखर सिंह : केवल गन्ना बोल रहा हूं, शूगरकेन नहीं बोल रहा हूं। किसान को आज गन्ना पांच रुपये क्विंटल बेचना पड़ रहा है। गन्ने की फसल इस साल अच्छी हो रही है, इसकी जानकारी पहले ही हो जानी चाहिए थी ताकि उसकी खरीद का सही इंतजाम हो सकता।

MR. SPEAKER: The difficulty is, according to your statement you wanted to raise the matter regarding the arrest of 35 kisans, who were protesting against the sugarcane policy of the Government ..

श्री चन्द्रशेखर सिंह : उसी के बारे मे कह रहा हूं। अगर इसका अन्दाजा सरकार को पहले हो जाता तो किसान को कम दाम पर गन्ना नही बेचना पडता। चीनी मिल मालिक किसानो की अत्यधिक पैदावार होने और गर्मी सीजन पास होने का नाजायज फायदा उठा रहे है जब कि गन्ने का रस मोटा और वजन कम हो गया है। इसके फलस्वरूप मिल मालिक गन्ने की अत्यधिक पैदावार होने के कारण किसान को अनार्थिक दाम दे कर उनका गन्ना ले रहे हैं। गन्ने की बहुत सी फसल सूख गई है। इसके लिए जब आसपास के किसान विरोध कर रहे थे तब वोट क्लब पर 35 की संख्या मे किसानो को गिरफ्तार किया गया। मेरी माग है कि उनको छोडा जाए और गन्ने का दाम जितने आने मन गन्ना, उतने रुपये मन चीनी के आधार पर किसानों को दिया जाए।

(i) REPORTED LANDING OF AN UNKNOWN HELICOPTER IN KUTCH DISTRICT OF GUJARAT.

श्री अनन्त दवे (कच्छ) : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर बोल रहा हूं। 24 फरवरी, 1978 की शाम को पांच बजे, गुजरात राज्य के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में—जो कि एक बोर्डर डिस्ट्रिक्ट है,—एक अननोन हैलीकोप्टर आया और वहां लेण्ड किया। उस हेलीकोप्टर ने वहा कई चित्र उतारे, फोटो खीचे और वहा के मेजरमेंट लिये। आसपास मे जो मजदूर काम करते थे, वे वहां गये और उन सब बातो को उन्होंने देखा। उन्होंने पुलिस और कस्टम अधिकारियो को इसकी खबर दी लेकिन जब तक उसके लोग वहा आये, हेलिकोप्टर वहा से चला गया। हेलीकोप्टर पर ताइवान लिखा हुआ था। दस-पन्द्रह लोग उसके अन्दर बैठे थे और वे सब इंग्लिश बोल रहे थे। जो लोग वहा थे, उन सब ने इसको देखा है और यह बात न्यूज पेपर्स मे भी आयी है।

मैं यह बात कालिंग अटेंशन द्वारा आपके सामने रखना चाहता था लेकिन आपकी ओर से इसकी इजाजत नही मिली। मै आपसे प्रार्थना करता हू कि इस पर ध्यान दिया जाए। कच्छ जिला बोर्डर टेरीटरी है। उस बोर्डर डिस्ट्रिक्ट मे यह बहुत भयकर प्रवृत्ति चल रही है। वहा एक पवित्र स्थान नारायण सरोवर है। वहा बहुत से लोग आते है। वहा पर युद्ध हुआ था। नारायण सरोवर स्थान पर युद्ध हुआ था। इसलिए मैं इस बात पर सरकार का ध्यान खीचना चाहता हू और प्रार्थना करना चाहता हूं कि कृपया इसका जवाब इस सदन मे आना चाहिए और सब को मालूम होना चाहिए।

PROF. P. G. MAVALANKAR: It is a very serious matter. You kindly ask the Minister to make a statement.

MR. SPEAKER: Mr. Shyamnandan Mishra.

(v) CHANGES MADE IN WARRANT OF PRECEDENCE.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir. under Rule 377, I